Fwd: Press Release
pr@bis.gov.in

Date: 11/28/18 10:50 AM
From: "Delhi Branch Office II" <dlbo2@bis.gov.in>

IMG_20181127_115954.jpg (2.5MB)
IMG_20181127_122349.jpg (2.8MB)
IMG_20181127_123422.jpg (4.3MB)
IMG_20181127_115956.jpg (3.2MB)
IMG_20181127_122354.jpg (3.0MB)
IMG_20181127_120027.jpg (3.1MB)
IMG_20181127_123236.jpg (4.2MB)

-------- Original Message --------
From: "Delhi Branch Office II" <dlbo2@bis.gov.in>
Date: Nov 27, 2018 4:59:21 PM
Subject: Press Release
To: pr <pr@nic.in>
Cc: BIS TS Dept <its@bis.gov.in>, ddgca@bis.org.in

भारतीय मानक ब्यूरो

दिल्ली शाखा कार्यालय - II

प्रेस रिलीज

प्रेस नोट सं. **डीएलबीओ-II/जी-15:5** **27.11.2018**

बीआईएस ने जाली एमसीबी को जब्त किया

बीआईएस के दिल्ली शाखा कार्यालय-II सूचना मिली थी कि ख्याला, पीरागढ़ी एवं गुर मण्डी (राणा प्रताप बाग), दिल्ली में स्थित तीन फैक्ट्रियों में जाली आईएसआई मुहर वाले एमसीबी बनाए जा रहे हैं ।

दिल्ली शाखा कार्यालय-II के दो अधिकारियों की तीन टीमों को संबंधित पुलिस स्टेशनों के पुलिस अधिकारियों की सहायता से उन फ़ैक्ट्रियों के परिसर में छापा मारने के लिए भेजा गया । परिसर में सारे सामान पर जाली आईएसआई मुहर पाई गई । परिसर में जाली आईएसआई मुहर वाले एमसीबी बनाए जा रहे थे जो कि बीआईएस अधिनियम 2016 का उल्लंघन है । परिसर से जाली आईएसआई मुहर लगे एमसीबी बरामद किए गए ।

बीआईएस समय-समय पर आम जनता को उनके हित में चेतावनी और सलाह देता है कि वह आईएसआई मुहर लगा सामान खरीदते समय सावधान रहें क्योंकि अनैतिक तत्वों द्वारा बड़ी मात्रा में जाली आईएसआई मुहर वाला सामान बाजार में उतारा जाता है । आईएसआई मुहर के दुरूपयोग की सूचना मिलने पर बीआईएस तुरंत और समय पर तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही करने के साथ दोषी के विरूद्ध बीआईएस अधिनियम 2016 के अंतर्गत अभियोग की कार्यवाही करता है ।

--
भारतीय मानक ब्यूरो,
दिल्ली शाखा कार्यालय- 2, ९ बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
ई-मेल: dlbo2@bis.gov.in पोर्टल: www.manakonline.in वैबसाइ: www.bis.gov.in

Scanned by CamScanner